(20)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी / छतरपुर / भूराजस्व / 2018

निगरानी-3472/2018/छतरपुर/भू.२५

कालू काछी तनहा जनकुवां काछी निवासी ग्राम डाही तहसील बिजावर जिला छंतरपुर म0प्र0 ..प्रार्थीगण

बनाम

जनकुवां काछी पुत्र श्री दुर्जना काछी निवासी डाही तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0 ....प्रतिप्रार्थी

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभगीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 102/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांकी 31.05.2018 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, ग्राम डाही तहसील बिजावर जिला छतरपुर में शासकीय भूमि सर्वे कमांक 339/4, का रकवा 0.809हे0 भूमि थी उक्त भूमि का वर्ष 1982 मे रकवा 0.809 आर0ए0 का बंन्टन प्रतिप्रार्थी का किया गया था परन्तु प्रतिप्रार्थी ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर बिना किसी आदेश से सर्वे कमांक 339/4 रकवा 0.809हे0 भूमि का बंटन हुआ था के स्थान पर वर्ष 1986-87 में रकवा 2.809हे0 करा लिया गया प्रार्थी को उक्त कार्यावही की जानकारी होने पर प्रार्थी ने तहसीलदार बिजावर के न्यायालय में प्रार्थी को सर्वे कमांक 339/4 रकवा 2.809हे0 का बन्टन न होने के कारण और बटांकन कार्यवाही न होने के कारण फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेख में बन्टन किये गये रकवे 0.809हे के स्थान पर 2.809हे0 भूमि का इन्द्राज करा लिये जाने के आधार पर राजस्व अभिलेख में दूरूसती कराए जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ खसरे की नकले प्रस्तुत की गयी जिसमें प्रतिप्रार्थी का रकवा 0.809आर0ए0 था प्रस्तुत की थी तहसील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रार्थी को सूचना पत्र जारी किया परन्तु सूचना उपरांत प्रतिप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित हुये और उनके द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया परन्तु उनके द्वारा कोई जबाव अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये विचारणीय न्यायालय द्वारा ग्राम पटवारी द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मंगाए जाने का आदेश पारित किया गया जिसके आधार पर पटवारी द्वारा बतलाया गया कि उक्त भूमि पर वर्ष 1985-86 लगायत 1991-92 तक सर्वे कमांक 339/4 रकवा 0.809 दर्ज है परन्तु वर्ष 1992-93 में बिना किसी आदेश के सर्वे कमांक 339/4 का रकवा 0.809आर0ए0केस्थान पर 2.809आर0ए कर दियागया है जोकि गलत है जिसे दूरूसत किया जावें विचारणीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये प्रतिप्रार्थी को सूचना पत्र जारी किया गया परन्तु प्रतिप्रार्थी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिप्रार्थी द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नही किया ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी / 3472 / 2018 / छतरपुर / भू0रा0

कालू काछी विरूद्ध जनकुवां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21-02-2019	आवेदक की ओर से श्री जगदीश श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 102 / अपील / 2017–18 में पारित आद्वेश दिनांक 31–5–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 21.02.2019	